न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्त सिंह (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 47/2019

प्रार्थीः–

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री सुखदेव, उम्र 61 वर्ष
2. उछबकंवर पत्नी श्री सुखदेव, उम्र 83 वर्ष, जातिगण चारण, निवासीगण शिव, तहसील मेडता, हाल आबाद निवास, वीर दुर्गादास नगर, पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. कुकी बेवा सुखदेव
2. सत्यनारयण उर्फ सत्यदेव पुत्र श्री सुखदेव
3. मांगीलाल पुत्र श्री परसराम के कायम मुकाम
   - 3/1 भवानीशंकर पुत्र श्री मांगीलाल
   - 3/2 गीता बेवा मांगीलाल
   - 3/3 कौशल्या पुत्री मांगीलाल, तमाम जातिगण ब्राहमण, निवासी रूपावास, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भुमिधारी पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री मो. शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–:निर्णयः– दिनांक 03/12/2019

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम रूपावास, पटवार हल्का रूपावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांवरी मे स्थित खसरा नम्बर 612 रकबा 04 बिस्वा गो.मु. तेड स्थित है, इसमे प्रार्थी संख्या 01 का 3/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा बसामलाती रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 613 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थी संख्या 02 की स्थित है व प्रार्थी का मौके उपलब्ध कृषि भूमि पर कब्जा काश्त हैं। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का पार्ट हैं।

खसरा नम्बर 613 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थी सख्या 02 की जो कृषि भूमि स्थित है, इस कृषि भूमि के पूर्व की तरफ अप्रार्थी सख्या 01 व 02 द्वारा अतिक्रमण कर प्रार्थी की जमीन हडप की है व मौके पर धोरा पाली कर बदलाव भी किया हैं, जिसके अतिक्रमण का प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 02 का पेश हैं तथा खसरा नम्बर 612 रकबा 04 बिस्वा कृषि भूमि मे प्रार्थी संख्या 01 का 03 बिस्वा रकबा स्थित हैं, इसमे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अतिक्रमण कर दिया है, इसको हटाने का प्रार्थना पत्र व कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पेश हैं।

दिनांक 21.06.2010 को भु.अ.नि. भांवरी तथा हल्का पटवारी रूपावास द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें खसरा नम्बर 613 में ए.बी.सी.डी भूमि पर रास्ते को छोड़कर प्रार्थी संख्या 02 का कब्जा होना बताया गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का सी,डी के पूर्व की

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

तरफ कब्जा होना दर्शाया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार मौके पर दिनांक 21.06.2010 को प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त था व गै.मु. रास्ता जो खसरा नम्बर 609 है जिसके पूर्व की तरफ कब्जा काश्त होना दृष्टि गोचर है तथा इसके बाद अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जानबुझकर कानून हाथ मे लेकर अक्टुबर 2015 मे अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। इस पर प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना सदर, पाली में दिनांक 03—11—2015 को एफ.आई.आर दर्ज करवाई, जिसके एफ.आई.आर. नम्बर 198/2015 है। जिसमें अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 447 का चालान पेश किया गया। उक्त रिपोर्ट होने के बाद अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को यह कहा कि मौके पर तरमीम नही है व खसरा नम्बर 612 व 613 की स्थिति का स्पष्टीकरण नही है, इस कारण मुकदमा दर्ज होने पर अप्रार्थीगण ने ऐसा कहा तरमीम होने के बाद बैठकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस मे निर्णित कर देगें व मौके पर यदि अप्रार्थी स,ख्या 01 व 02 का अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 हटा देंगे तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पाली के यहा धारा 111,128,131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके राजस्व विविध संख्या 04/2017 है, जिसका निर्णय दिनाक 08.02.2018 को हुआ, उक्त निर्णय की जानकारी अप्रार्थीगण को भी थी परन्तु न्यायालय मे उपस्थित नही आये व न्यायालय द्वारा नक्शे मे तरमीम का आदेश भी कर दिया व नक्शा लठा व राजस्व नक्शे मे भी तरमीम किया गया व दिनांक 08—02—2018 के बाद लगातार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को अतिक्रमण हटाने व मौके पर प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द करने बाबत कहा गया तो लगातार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 आवश्वासन देकर समय प्राप्त करते रहे, दिनांक 22—04—2018, दिनांक 15—09—2018, दिनांक 05—01—2019 को भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कब्जा हटाने का कहा तो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थीगण से ओर समय मांगा, दिनांक 03—09—2019 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को कब्जा देने एवं अतिक्रमण हटाने से इंकार कर दिया, इस कारण कब्जा हटाने का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 वं 02 के पेश हैं तथा अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 खसरा नम्बर 613/1 का खातेदार है व अप्रार्थी संख्या 03 की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

यह हैं कि दिनांक 04—05—2016 को हल्का पटवारी पंकज कुमार व पटवारी गुरडाई व भु.अ.नि. भांवरी द्वारा एक टीम गठित कर मौके की स्थिति की पैमाईस की गई, जो रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। इस रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 612 व 613 की स्थिति स्पष्ट की गई है, रिपोर्ट में मार्क ए स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का अतिक्रमण बताया गया है व मार्क सी स्थान पर जो खसरा नम्बर 613 है, इसमे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का अतिक्रमण बताया गया है मार्क ए स्थान खसरा नम्बर 612 की स्थिति स्पष्ट करता है, इस रिपोर्ट आने के बाद भी अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाने को कहा गया तो हटाने का मात्र आश्वासन ही दिया गया व दिनांक 03—09—2019 को अतिक्रमण हटाने से स्पष्ट इंकार कर दिया।

संलग्न नजरी नक्शे मे जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, इसमें मार्क ए, बी पक्की दिवार बताई गई है तथा मार्क बी से सी धोरा है तथा मार्क ए से सी 300 फीट से कम है, जो पक्की दीवार व माठ सामिल हैं, इसी प्रकार मार्क सी से डी 374 फीट हैं, नजरी नक्शे मे मार्क ई से एच 130 फीट हैं, एसे सी 300 फुट से कम प्रार्थी की उत्तरी मौके के अनुसार भुजा हैं, ए से के खसरा नम्बर 611/1 की पक्की दिवार है, जो बिल्डिंग लाईन है। इसके पश्चिम में मौके पर खसरा ख्या 609 रास्ता हैं। ए,ई, एच, आई अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का अतिक्रमण है। इसमें खसरा नम्बर 613 सम्मेलित है। मार्क ई से एल अतिक्रमी दीवार 10 फीट

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

है मार्क ए से ई 40 फीट है तथा मार्क ए से बी पक्की दीवार है जो जो खसरा नम्बर 611/1 के खातेदार श्रीमती रसाल कंवर पत्नि विश्वविकास जी, जाति चारण की कृषि भूमि मे बनी हुई हैं यानि कि खसरा नम्बर 611/1 के पश्चिम की तरफ पक्की दीवार के बाद सी.सी. रोड पक्की बनी हुई है, जो गौरवपथ रूपावास से गुरडाई जाने वाला रास्ता है, जो रास्ता मौके पर चालु है व खसरा नम्बर 613 प्रार्थी संख्या 02 का है, इसके पश्चिम मे सी.सी. रोड़ बनी हुई है,जो गुरडाई जाने वाला रास्ता है व मौके पर रास्ता चालु है, जो खसरा नम्बर 609 है, मौके पर रास्ता शुरू से यानि कि प्रथम सेटलमेन्ट से चला आ रहा है व रास्ते की स्थिति वक्त सेटलमेन्ट से भी वही है जो आज हैं। खसरा नम्बर 616 व 615 इसके पूर्व की तरफ भुमि कम है। जो अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पास हैं।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा खसरा नम्बर 612 की कुल 04 बिस्वा पर अतिक्रमण कर लिया है, वह उक्त अतिक्रमण करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को नही है, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि 1/4 हिस्से की है जो रकबा 01 बिस्वा रहता है तथा खसरा नम्बर 612 में 3 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 01 है, लेकिन जानबुझकर प्रार्थी को बेदखल कर अतिक्रमण कर दिया है व प्रार्थी को खसरा नम्बर 612 में प्रवेश नही करने दे रहा है तथा मार्क ए,ई पर पक्की दिवार बना दी है व इस दिवार के पश्चिम की तरफ गुरडाई जाने वाला मार्ग है तथा अप्रार्थीगण ने अपन गेट भी लगा दिया है, चुंकि उक्त कृषि भूमि बसामलाती हैं, इस कारण से हर इंच पर प्रार्थी का भीं अधिकार है व रेवेन्यू रेकर्ड मे भी बसामलाती कृषि भूमि है व मार्क ए, ई मे 40 फीट की पक्की दिवार बनाई हुई है, जो बनाने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को नही है क्योकि पश्चिम की तरफ अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की हद मात्र 20 फीट चौडाई की ही है, इस कारण से अन्य भूमि जो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अतिक्रमण में है, इसका अतिक्रमण हाटाकर प्रार्थी संख्या 01 को कब्जा दिलवाया जावे तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर, नाप चौक कर, पत्थर गड्डी कर हिस्सा अलग किया जावे व खाता भी खसरा नम्बर 612 मे प्रार्थी संख्या 01 का अलग किया जावे व 03 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से प्रार्थी को दिलवाई जावे।

खसरा नम्बर 613 मे प्रार्थी संख्या 02 की 05 बिस्वा भूमि मौके पर कम है व इस कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अतिक्रमण कर दिया है, जो अतिक्रमण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का हटाया जाकर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा मौके पर खसरा नम्बर 613 के पूर्व की तरफ जो खालीया (खाई) बना हुआ है, इस खालीये के पश्चिम की तरफ पुरी लम्बाई मे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, जो अतिक्रमण धोरे के रूप मे किया गया है व खाई (खालीया) हटा दिया गया है व प्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि मे प्रवेश कर दिया है व दिनांक 03–09–2019 को अतिक्रमण हटाने से इंकार कर दिया है, इस कारण से प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा प्रार्थी के पास कोई विकल्प नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का अतिक्रमण खसरा नम्बर 612 व 613 की कृषि भूमि पर ही है व पेमाईस के अनुसार व सेटलमेन्ट के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 612 व 613 की कृषि भूमि ही है व खसरा नम्बर 612 के पश्चिम की तरफ 609 का गै.मु. रास्ता जो वर्तमान में गौरवपथ वो कायम है व इसके पश्चिम की तरफ आबादी भूमि स्थित है व मौके पर गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 609 आबाद है व मौके पर चालु है, इस कारण खसरा नम्बर 612 से अतिक्रमण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का हटाया जावे व तकासमा कर प्रार्थी संख्या 01 का 03 बिस्वा भूमि दिलवाई जावे। अप्रार्थी संख्या 01 के पास मार्क ए से ई, 40 फीट भूमि है तथा मार्क इ से एच भूमि 130 फीट है मार्क से आई भूमि 45 फीट हैं। जो अप्रार्थीगण की कतई

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

नही हैं, मार्क ए, ई, एच, आई का कुल रकबा 06 बिस्वा भूमि हैं इसमें अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का अतिक्रमण है व इस कृषि में 02 बिस्वा भूमि मे से 05 बिस्वा भूमि का अतिक्रमण अप्रार्थी का हटाया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाया जावे, यदि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मौके से अपना अतिक्रमण नही हटाता है तो अप्रार्थी से उपयोग मे ली गई भूमि का मिन्स प्रोफिट सालाना 5000/– रूपये दिलवाया जावे व अतिक्रमण हटाये जाने तक मिन्स प्रोफिट प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 03–09–2019 को यह धमकी दी है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खसरा नम्बर 612 के पूर्व की तरफ जो अतिक्रमण की भूमि है, इस भूमि पर आगे बढकर खसरा नम्बर 613 की भूमि पर अतिक्रमण कर देंगे, मौके पर स्थिति मे परिवर्तन कर देंगे, पक्की दीवार बनाकर प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग से महरूम कर देंगे, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा यह भी धमकी दी गई कि इनके कब्जे मे जो 06 बिस्वा भूमि है, इसको आगे से आगे बेचाण द्वारा व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर देगे तथा खसरा नम्बर 613/2 के चिते जो सिचाई विभाग का खालीया चालु है, जो खसरा नम्बर 613 में सिंचाई हेतु पानी आता है, इस खालीये को भी अप्रार्थी सख्या 01 व 02 रोक देंगे, इस बाबत भी प्रार्थीगण को धमकी दी है व प्रार्थीगण द्वारा खालीया रोकने के सम्बंध में पुलिस थाना एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई है, जो एफ.आई.आर. संख्या 181/2016 है, जो पुलिस थाना सदर मे दर्ज है, इस तरीके से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को खसरा संख्या 612 व 613 मे प्रार्थीगण के हक हकूक को मेहरूम करने मे आमादा है व प्रार्थीगण को काश्त करने हेतु रोकने हेतु आमादा है व प्रार्थी अपने कृषि भूमि में उपयोग करने हेतु अधिकार रखता है अप्रार्थीगण को मौके की स्थिति में परिवर्तन व परिवर्धन करने व प्रार्थीगण को क्षति पहुचाने हेतु व प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु व बाधा पहुचाने हेतु कोई हक व अधिकार नही है, इस कारण अवैध कृत्य अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया जावे, इस कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश है।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,3/1,3/2 व 3/3 बावजुद नोटिस तामील के न्यायालय में वकालतन व असालतन उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया।

3- बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की मौजा ग्राम रूपावास, पटवार हल्का रूपावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांवरी मे स्थित खसरा नम्बर 612 रकबा 04 बिस्वा गो.मु. तेड स्थित है, इसमे प्रार्थी संख्या 01 का 3/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा बसामलाती रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 613 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थी संख्या 02 की स्थित है व प्रार्थी का मौके उपलब्ध कृषि भूमि पर कब्जा काश्त हैं। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का पार्ट हैं। खसरा नम्बर 613 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थी सख्या 02 की जो कृषि भूमि स्थित है, इस कृषि भूमि के पूर्व की तरफ अप्रार्थी सख्या 01 व 02 द्वारा अतिक्रमण कर प्रार्थी की जमीन हडप की है व मौके पर धोरा पाली कर बदलाव भी किया हैं, जिसके अतिक्रमण का प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 02 का पेश हैं तथा खसरा नम्बर 612 रकबा 04 बिस्वा कृषि भूमि मे प्रार्थी संख्या 01 का 03 बिस्वा रकबा स्थित हैं, इसमे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अतिक्रमण कर दिया है। खसरा नम्बर 612 की कृषि भूमि मे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। व

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं करे। खसरा संख्या 613 की कृषि भुमि जो रास्ते के खसरा संख्या 609 मौके के चिपते है। इस कृषि भुमि मे अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग मे दखल नही करें। प्रार्थी के कृषि कार्य मे हस्तक्षेप नही करें तथा न ही अप्रार्थी अनाधिकृत प्रवेश करे। प्रार्थी को कृषि भूमि का सिंचाई का पानी लाने एवं पिलाने से नहीं रोके। इसके लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर रोका जावें।

5- बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। पाया कि मौजा ग्राम रूपावास, पटवार हल्का रूपावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांवरी मे स्थित खसरा नम्बर 612 रकबा 04 बिस्वा गो.मु. तेड स्थित है, इसमे प्रार्थी संख्या 01 का 3/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा बसामलाती रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 613 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थी संख्या 02 की स्थित है व प्रार्थी का मौके उपलब्ध कृषि भूमि पर कब्जा काश्त हैं। खसरा नम्बर 612 की कृषि भूमि मे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। व अप्रार्थीगण किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं करे। खसरा संख्या 613 की कृषि भुमि जो रास्ते के खसरा संख्या 609 मौके के चिपते है। इस कृषि भुमि मे अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग मे दखल नही करें। प्रार्थी के कृषि कार्य मे हस्तक्षेप नही करें तथा न ही अप्रार्थी अनाधिकृत प्रवेश करे। प्रार्थी को कृषि भूमि का सिंचाई का पानी लाने एवं पिलाने से नहीं रोके।

6- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्राम रूपावास, पटवार हल्का रूपावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांवरी मे स्थित खसरा नम्बर 612 रकबा 04 बिस्वा गो.मु. तेड स्थित है, इसमे प्रार्थी संख्या 01 का 3/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा बसामलाती रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हैं। खसरा नम्बर 612 की कृषि भूमि मे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे व अप्रार्थीगण किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं करे। खसरा संख्या 613 की कृषि भुमि जो रास्ते के खसरा संख्या 609 मौके के चिपते है। इस कृषि भुमि मे अप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से से ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें एवं दखल दस्तंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी एजेन्ट या नौकर चाकर या रिश्तेदार से करावें। प्रार्थी को कृषि भूमि का सिंचाई का पानी लाने एवं पिलाने से नहीं रोके। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 03/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.12.26 18:13:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: